राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून
वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र

(Tender Document for Hiring of Vehicles)

निवदा विज्ञप्ति संख्या : 3308/स्टोर(45ए)/2025

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अपने शासकीय कार्यों हेतु निम्नलिखित वाहनों को मासिक (Monthly) तथा दैनिक (Daily) आधार पर किराये पर लेने हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फर्मों/एजेंसियों से दो–बिड प्रणाली (Two & Bid System) के अंतर्गत मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

भाग 1: निविदा का विवरण (Tender Details)

1. कार्य का विवरण (scope of Work): स्विफ्ट डिजायर, बोलेरो, इनोवा क्रिस्टा अथवा समकक्ष वाहनों को चालक सहित किराये पर लेना।
    - मासिक आधार: वाहन चालक सहित, ईंधन रहित (Vehicle with driver, without fuel)।
    - दैनिक आधार: वाहन चालक एवं ईंधन सहित (Vehicle with driver and fuel)।
2. निविदा कार्यक्रम (Tender Schedule):
    - निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि: 10.12.2025 से 24.12.2025 तक।
    - निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 24.12.2025, शाम 4:00 बजे तक।
    - तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय: 24.12.2025, शाम 4:30 बजे।
    - निविदा जमा करने का स्थान: कार्यालय, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
3. निविदा शुल्क एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Tender Fee and Performance Security):
    - निविदा प्रपत्र शुल्क: **रू0 1,180.00/–** (एक हजार एक सौ अस्सी रू0 मात्र) समस्त चार्ज सहित जो वापस नहीं होगा।
    - धरोहर राशि (EMD): **रू0** 10,000/– (दस हजार रुपये मात्र) ''सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड'' के पक्ष में देय, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में तकनीकी बिड के साथ जमा करनी होगी।

क्रमशः–2

- कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security): सफल बोलीदाता को कार्यादेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर रू0 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) की कार्यपूर्ति प्रतिभूति जमा करनी होगी। जमा की गई धरोहर राशि को इस राशि के सापेक्ष समायोजित किया जा सकता है। अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, कार्यपूर्ति प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं/निविदादाताओं की धरोहर राशि वित्तीय बिड़ खुलने के बाद वापस कर दी जाएगी।

भाग 2: पात्रता एवं शर्तें (Eligibility and Conditions)

A. न्यूनतम पात्रता मानदंड़ (Minimum Eligibility Criteria):

1. पंजीकरण (Registration): फर्म/एजेंसी का उत्तराखंड के किसी भी संभागीय/ उप–संभागीय परिवहन कार्यालय में ट्रैवल एजेंसी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। फर्म का GST पंजीकरण होना भी आवश्यक है।
2. वाहन की स्थिति (Vehicle Condition): निविदादाता के पास स्वयं के या अनुबंध के तहत कम से कम 2 टैक्सी परमिट वाले वाहन होने चाहिए जो 01 जनवरी 2022 के बाद पंजीकृत हों तथा उत्कृष्ट चालन स्थिति में हों। वाहनों के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), टैक्स, फिटनेस, बीमा, और प्रदूषण प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
3. अनुभव (Experience): निविदादाता को किसी भी एक सरकारी, अर्द्व–सरकारी, आयोग, प्रतिष्ठित निजी संस्थान को वाहन उपलब्ध कराने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।**
4. वित्तीय स्थिति (Financial Status): निविदादाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (FY 2022–23, 2023–24, 2024–25) में कुल मिलाकर रू0 5.00 लाख का टर्न ओवर होना चाहिए। CA द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5. परमिट (Permit): वाहनों का टैक्सी परमिट ऑल इंडिया के लिए वैध होना चाहिए।

B. सामान्य नियम एवं शर्तें (General Terms & Conditions):

1. अनुबंध अवधि (Contract Period): अनुबंध की अवधि प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए होगी, जिसे आपसी सहमति और संतोषजनक सेवा के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. चालक (Driver): चालक को विनम्र, समय का पाबंद और वर्दी में होना चाहिए। उसके पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और न्यूनतम 3 वर्ष का पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। चालक का पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
3. मादक द्रव्यों का सेवन (Intoxication): ड्यूटी के दौरान चालक द्वारा किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य (शराब, ड्रग्स आदि) का सेवन करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि चालक नशे की हालत में पाया जाता है, तो आयोग को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कार्यपूर्ति प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार होगा।

क्रमशः–3

4. लॉग बुक (Log Book):
   - प्रत्येक वाहन के उपयोग को दर्ज करने के लिए एक लॉग बुक का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें यात्रा का विवरण, समय और किलोमीटर की रीडिंग दर्ज की जाएगी और संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सत्यापित किया जाएगा।
   - माइलेज की गणना आयोग परिसर से शुरू होकर आयोग परिसर में समाप्त होगी। चालक द्वारा अपने निवास से कार्यालय आने–जाने या भोजन/चाय आदि के लिए उपयोग किए गए किलोमीटर और घंटे लॉग बुक में नहीं दर्ज किए जाएंगे और वे मासिक पैकेज का हिस्सा नहीं होंगे।
5. मरम्मत एवं रखरखाव (Repair & Maintenance): वाहन की सर्विसिंग, मरम्मत, टायर, लुब्रिकेंट्स आदि का पूरा खर्च फर्म/स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी खराबी की स्थिति में, फर्म को तत्काल एक वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
6. भुगतान (Payment): मासिक किराये के लिए एक अलग बिल तथा उस माह के दौरान लिए गए किसी भी दैनिक किराये के लिए एक अलग बिल, माह के अंत में लॉग बुक के सत्यापन के उपरांत प्रस्तुत किया जाएगा। भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। भुगतान से TDS एवं अन्य लागू करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
7. दंड का प्रावधान (Penalty Clause):
   - यदि फर्म समय पर वाहन उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो आयोग किसी अन्य स्रोत से वाहन किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा और लागत का अन्तर यदि अनुबन्ध दर से अधिक होता है तो अन्तर संबंधित फर्म के बिल से वसूल किया जाएगा।
   - चालक के दुर्व्यवहार या वाहन की खराब स्थिति की शिकायत पर लिखित चेतावनी दी जाएगी। तीन चेतावनियों के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
   - माइलेज भिन्नता दंड: यदि किसी माह के दौरान, मासिक आधार पर किराए पर लिया गया वाहन, बोलीदाता/निविदादाता द्वारा अनुलग्नक–I में घोषित माइलेज से कम की ईंधन दक्षता प्रदान करता है, तो अतिरिक्त खपत किए गए ईंधन की लागत विक्रेता के मासिक बिल से काट ली जाएगी। गणना ईंधन की प्रचलित बाजार दर के आधार पर की जाएगी। घोषित माइलेज को बार–बार पूरा करने में विफलता को अनुबंध का उल्लंघन माना जा सकता है।
8. दुर्घटना एवं देनदारी (Accident & Liability): किसी भी दुर्घटना, क्षति, या तीसरे पक्ष की देनदारी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी फर्म/वाहन स्वामी की होगी।
9. अनुबंध समाप्ति (Contract Termination): दोनों पक्षों में से कोई भी एक माह (30 दिन) का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोग बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. विवाद (Dispute): किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।

क्रमशः–4

भाग 3: कार्य का दायरा और विशेष शर्तें (Scope of Work & Special Conditions)

1. मासिक आधार पर वाहन (Vehicle on Monthly Basis):

- पैकेज: मासिक किराया 2500 किलोमीटर और 300 घंटे प्रति माह की सीमा तक के उपयोग के लिए होगा।
- ईंधन: ईंधन की व्यवस्था आयोग द्वारा की जाएगी। फर्म को वाहन का स्वीकृत औसत माइलेज (किमी/लीटर) तकनीकी बिड में घोषित करना होगा, घोषित माईलेज की तर्कसंगतता की जॉच उस वाहन मॉडल के लिए आधिकारिक ARAI (AutoMotive Research Association of india) द्वारा प्रमाणित माईलेज के सापेक्ष की जायेगी।
- **रात्रि प्रवास (Night Halt): मुख्यालय से बाहर रात्रि प्रवास की स्थिति में चालक के लिए रू0 500.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि प्रवास शुल्क का भुगतान किया जायेगा।**

2. आवश्कतानुसार किराए पर वाहन (Vehicle on Need Basis):

1. 24 घंटे में 200 कि0मी0 की सीमा तक के उपयोग के लिए एक दर होगी। 24 घंटे में 200 कि0मी0 से अधिक वाहन चलने पर अतिरिक्त कि0मी0 हेतु अतिरिक्त कि0मी0 (प्रति कि0मी0) की दर देय होगी।

2. 12 घंटे में 100 कि0मी0 की सीमा तक के उपयोग के लिए दूसरी दर होगी। 12 घंटे में 100 कि0मी0 से अधिक वाहन चलने पर अतिरिक्त किलोमीटरों हेतु अतिरिक्त कि0मी0 (प्रति कि0मी0) की दर से देय होगी। इस दर पर वाहन किराए पर लिए जाने पर यदि वाहन का उपयोग 12 घंटे से अधिक होता है तो वाहन उक्त बिन्दु संख्या-01 के अन्तर्गत किराये पर लिया माना जायेगा तथा भुगतान तद्नुसार किया जायेगा।

3. **मुख्यालय से बाहर रात्रि हॉल्ट की दशा में रात्रि हॉल्ट हेतु कोई वेटिंग चार्ज नहीं दिया जायेगा। मुख्यालय से बाहर रात्रि हॉल्ट की स्थिति में चालक के लिए रू0 500/- (रू0 पॉच सौ मात्र) की दर से रात्रि हॉल्ट शुल्क का भुगतान किया जायेगा।**

4. अन्य शुल्क: टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क और अन्य राज्यों के सीमा कर का भुगतान उपयोग के अनुसार वास्तविक आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

5. 24 या 12 घंटे की अवधि की गणना वाहन के ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के समय से शुरू की जायेगी।

कमशः-5

भाग 4: निविदा प्रक्रिया एवं मूल्यांकन (Bidding & Evaluation Process)

1. दो–बिड प्रणाली (Two&Bid System):

- लिफाफा–A (तकनीकी बिड): इसमें अनुलग्नक–I, सभी आवश्यक दस्तावेज, निविदा शुल्क और धरोहर राशि का ड्राफ्ट होना चाहिए। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "तकनीकी बिड" लिखा होना चाहिए।
- लिफाफा–B (वित्तीय बिड): इसमें केवल अनुलग्नक–II में निर्धारित प्रारूप में दरें होनी चाहिए। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "वित्तीय बिड" लिखा होना चाहिए।

- दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद किया जाएगा, जिस पर "राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वाहन किराये की निविदा" लिखा हो।

2. मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation Process):

- पहले केवल तकनीकी बिड को खोला जाएगा और दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- जो निविदादाता तकनीकी रूप से योग्य पाए जाएंगे, केवल उन्हीं की वित्तीय बिड को खोला जाएगा।
- आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.aवित्तीय मूल्यांकन की विधि (Method of Financial Evaluation): L1 बिडर का निर्धारण करने के लिए, प्रत्येक वाहन और सेवा प्रकार के लिए एक "कुल मानकीकृत लागत" की गणना एक मानकीकृत उपयोग परिदृश्य के आधार पर की जाएगी।

- **मासिक किराये हेतु मूल्यांकन:**
  - परिदृश्य: 2700 किमी का मानकीकृत मासिक उपयोग।
  - सूत्र: मासिक किराया (2500 Km /300 Hr) + (200 Km X अतिरिक्त किमी दर) ।
  - सबसे कम कुल मानकीकृत लागत वाले बिडर को L1 माना जाएगा।
- दैनिक किराये हेतु मूल्यांकन:
  - परिदृश्य: L1 का निर्धारण दो मानकीकृत यात्राओं के कुल योग के आधार पर किया जायेगा।
  - यात्रा A: 12 घंटे में 120 कि0मी0(अतिरिक्त कि0मी0–20) ।
  - यात्रा B: 24 घंटे में 250 कि0मी0(अतिरिक्त कि0मी0–50) ।

क्रमशः–6

- यात्रा A की लागत का सूत्र : (12 घंटे में 100 कि0मी0 की दर) + (20 X अतिरिक्त कि0मी0 दर)।
- यात्रा B की लागत का सूत्र : (24 घंटे में 200 कि0मी0 की दर) + (50 X अतिरिक्त कि0मी0 दर)।
- कुल मानकीकृत लागत = (यात्रा A की लागत) + (यात्रा B की लागत)।
- सबसे कम कुल मानकीकृत लागत वाले बिडर को L1 माना जाएगा।

अनुलग्नक–I (Annexure-I): तकनीकी बिड प्रपत्र (Technical Bid Form)
(सभी दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं	संलग्नक संख्या
1.	फर्म/एजेंसी का नाम और पूरा पता		
2.	प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम और संपर्क विवरण		
3.	ट्रैवल एजेंसी पंजीकरण प्रमाण पत्र		
4.	GST पंजीकरण प्रमाण पत्र		
5.	पैन कार्ड की प्रति		
6.	पिछले 2 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र		
7.	CA द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र		
8.	निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट विवरण		
9.	धरोहर राशि (EMD) का बैंक ड्राफ्ट/FDR विवरण		
10.	उपलब्ध वाहनों का विवरण (न्यूनतम 2) (01.01.2022 के बाद के पंजीकृत वाहन)		
	वाहन–1: प्रकार, मॉडल वर्ष, पंजीकरण संख्या		
	वाहन–2: प्रकार, मॉडल वर्ष, पंजीकरण संख्या		
11	वाहनों की RC, बीमा, फिटनेस, टैक्स, परमिट की प्रतियां		
12	घोषित माइलेज (मासिक आधार हेतु): घोषित माइलेज की तर्कसंगतता की जॉच Automotive Research Association of india (ARAI) द्वारा प्रमाणित माईलेज के सापेक्ष की जायेगी। ARAI की तुलना में अनुचित रूप से कम माईलेज घोषित करने पर बोली को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि यह इंगित करता है कि वाहन 'उत्कृष्ट चालन स्थिति में नहीं है'।		
	स्विफ्ट डिजायर (पेट्रोल/डीजल):	.... KMPL	
	बोलेरो (डीजल):	.... KMPL	
	इनोवा क्रिस्टा (डीजल):	.... KMPL	

घोषणा: मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही है और मैं/हम निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

(फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम:
दिनांक:

क्रमश:–8

अनुलग्नक–II (Annexure-II): वित्तीय बिड प्रपत्र (Financial Bid Form)

(दरें GST सहित अंकों और शब्दों दोनों में भरें) टोल टैक्स, पार्किंग, दूसरे राज्यों का कर अतिरिक्त।

तालिका–A: मासिक आधार पर किराया (ईंधन रहित, चालक सहित)
(पैकेज 2500 KM/ 300 घंटे प्रति माह)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	मासिक किराया रू0	**2500 KM** के बाद प्रति अतिरिक्त **KM** की दर (रू0)
1.	इनोवा क्रिस्टा / समकक्ष (AC)	शब्दों में	शब्दों में
		अंकों में	अंकों में
2.	स्विफ्ट डिजायर / समकक्ष (AC)	शब्दों में	शब्दों में
		अंकों में	अंकों में
3.	बोलेरो /समकक्ष (AC)	शब्दों में	शब्दों में
		अंकों में	अंकों में

तालिका–**B**: आवश्कतानुसार किराए पर वाहन लिए जाने हेतु दर (ईंधन एवं चालक सहित)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	24 घंटों में 200 **KM** तक के उपयोग के लिए दर **GST** सहित (रू0)	12 घंटों में 100 **KM** तक के उपयोग के लिए दर **GST** सहित (रू0)	100 या 200 **KM** के बाद प्रति अतिरिक्त कि0मी0 की दर (रू0)
1.	इनोवा क्रिस्टा/ समकक्ष (AC)	शब्दों में		शब्दों में
		अंकों में		अंकों में
2.	स्विफ्ट डिजायर/ समकक्ष (AC)	शब्दों में		शब्दों में
		अंकों में		अंकों में
3.	बोलेरो/ समकक्ष (AC)	शब्दों में		शब्दों में
		अंकों में		अंकों में

क्रमशः–9

नोटः

1. दैनिक किराये के लिए भुगतान की शर्तें निविदा दस्तावेज के भाग 3, खंड 2 में विस्तृत रूप से दी गई हैं।
2. दरों में चालक का वेतन, वाहन का रखरखाव, बीमा, कर आदि सभी शामिल हैं।
3. GST को दरों में शामिल माना जाएगा।

घोषणाः मैं/हम उपरोक्त दरों पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूं और निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करता हूं/करते हैं।

(फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर)
नामः
दिनांकः

क्रमशः—10

अनुलग्नक–III: बिल प्रसंस्करण हेतु प्रपत्र (Forms for Bill Processing)
(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

I. मासिक किराया बिल प्रसंस्करण शीट (Monthly Hire Bill Processing Sheet)

विवरण	राशि /मात्रा
वाहन संख्याः	
माह / वर्षः	
फर्मदाता का नामः	
अनुबंधित मासिक किराया (रू0):	
अनुबन्धित अतिरिक्त किमी दर (रू0):	
लॉग बुक के अनुसार कुल किमीः	
अतिरिक्त किमी0(कुल किमी–2500):	
अतिरिक्त किमी का शुल्क (रू0):	
अन्य शुल्क (रात्रि प्रवास, टोल, पार्किंग, सीमा कर(रू0):	
कुल देय राशि (मासिक किराया + अतिरिक्त कि0मी0 शुल्क) + अन्य शुल्क (रू0):	
कटौती (TDS आदि):	
माइलेज दंड (यदि कोई हो):	
शुद्व देय राशि (रू0):	

(फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर)
नामः
दिनांकः

B- दैनिक किराया बिल प्रसंस्करण शीट (Daily Hire Bill Processing Sheet)

विवरण	कुल धनराशि रू0में
यात्रा की तिथि:	
वाहन संख्या:	
फर्मदाता का नाम:	
12/24 घंटों में 100/200 कि0मी0 उपयोग की दर रू0	
100/200 कि0मी0 के पश्चात प्रति अतिरिक्त कि0मी0 की दर(प्रति कि0मी0 रू0)..अतिरिक्त कि0मी0........................	
अन्य शुल्क (रात्रि प्रवास, टोल, पार्किंग सीमा कर):	
कुल देय राशि (किराया + अन्य शुल्क):	
कटौती (TDS आदि):	
शुद्ध देय राशि (₹):	

(फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर)
नाम:
दिनांक: